अंचल अधिकारी ..{handwritten}.. का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 192/16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–रा0म0नीति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– ..{handwritten}.. थाना– ..{handwritten}.. खाता संख्या– 45 प्लॉट संख्या– 831/6 रकबा– 0.21 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–.............. के पृष्ठ संख्या– 57/2 पर जमाबंदी रैयत ..{handwritten}.. के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– इद्रीस मियाँ S/O रमजान मियाँ
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
रहेमा	346	45	83/E	~~59/2~~ 0·71 S/0

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या.......... पृष्ठ सं0– 59/2 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 12/93
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :–
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– S.D.O. आदेश
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अभिलेखित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – 13/02/93
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
I	4738885	11/8/11	2002-2003 to 2011-12

[signature]

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। अतः द्वितीय नोटिस निर्गत हो।	
	(signature)	

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैर0 खास खाता सं0–45, प्लौट सं0– 83/E रकबा 0.71 ए0 पर इद्रीश मियां पिता रजाक मियां के द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा0 सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं0 131/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा–रहेया थाना नं0–345 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–45, प्लौट सं0– 83/E रकबा– 0.71 ए0 की बंदोबस्ती उक्त रैयत इद्रीस मियां पिता रजाक मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं0 59/2 पर दर्ज होकर जमाबंदी चलते आ रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।" अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई......समाप्त......की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या ...122....../2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950)

नोटिस

बनाम इद्रीश मियां S/o रमजान मियां

ग्रा० रहैला

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा ...रहैला..., थाना नं0........ खाता नं0.....45... खेसरा नं0.... 83/6 रकबा.......0.71 ए0 से संबंधित आपके नाम से हो0 नं0........ पंजी भाग के पृष्ठ ....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध मे दिनांक .... को समय 11:00 बजे पूर्वाहन मे उक्त रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदो, फार्म सरकार मे जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ट साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तूत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नही क तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुचते हुए दर्ज जमाबंदी के मे युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/4/24

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध जमाबंदी वाद सं० 122/2016-17 का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचना है कि मौजा रहेला थाना नं० 345 में आकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल कर्मचारी के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया गया कि उक्त खाता 45 प्लॉट नं० 83/E रकबा 0.71 ए० पर इद्रिश मियाँ पि० रजाक मियाँ के द्वारा जोत कोड़ किया जा रहा है उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है। जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बन्दो० वाद सं० 131/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 11-07-03 को मौजा रहेला के अन्तर्गत उक्त खाता सं० 45 प्लॉट सं० 83/E रकबा 0.71 ए० की बन्दोबस्ती इद्रिश मियां पति नाजरीन बीबी पिता रजाक मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेला के मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 59/II पर दर्ज होकर जमाबंदी चलाये जा रहा है इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

03/11/2024

विश्वासभाजन
रवीन्द्र दीक्षित
अं० अ० नि०
हल्का - III

मांग 2003/04 [illegible]
[illegible] AA 536748

[illegible]
Original Suit No 150/2022
PW-51 / II

Sch. XIV-F.No. 180M

V

जिला का नाम [illegible]
अनुमंडल का नाम [illegible]
अंचल का नाम [illegible]
थाना नं० नाम मौजा [illegible]
खाता के खाता नम्बर [illegible] 345

लगान मालगुजारी
कर मालकी/करद रैयती
[illegible]
में नमूना नम्बर JB/41 4939885

खाता संख्या	खेसरा संख्या
45 [illegible] - 83/E	[illegible]

असामी का नाम	[illegible]
[illegible]	[illegible] S/o [illegible]

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	हाल 2011-12
मालगुजारी (नकदी)	8.00	—	—	—	80.00	8.00
मालगुजारी (भावली)	2.00				20.00	2.00
सेस	4.00				41.00	4.00
*सूद	4.00				40.00	4.00
सूदकराजात	2.00				20.00	2.00
मीजान	20.00				200.00	20.00

[illegible]

तहसील अदायगी

अदायगी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	मौजूदा साल 2011-12	फाजिल
मालगुजारी (नकदी)	—	—	—	80.00	8.00	[illegible]
मालगुजारी (भावली)				20.00	2.00	
सेस				41.00	4.00	
*सूद				40.00	4.00	
सूदकराजात				20.00	2.00	220.00
मीजान अदायगी				200.00	20.00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) [illegible] बीस रुपये
(2) नाम [illegible] - [illegible]
(3) कुल बकाया-

[illegible signature] [illegible]
दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*[illegible]

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.11.07 12:37:27 +05:30
Location: 10.91.44.140

कार्यालय, अनुमंडलपदाधिकारी, [illegible] जिला [illegible]

[illegible] अर्न/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि /आवास के लिये

बन्दोबस्ती केस संख्या [illegible] 2002-03 परवाना संख्या - 19

बन्दोबस्ती की नाम [illegible] पिता का नाम [illegible]

ग्राम [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible]

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	चौहदी	लगान
[illegible] 345	[illegible]	83/E	0.71	उ0 [illegible] द0 [illegible] पू0 [illegible] प0 [illegible]	[illegible] प्रतिवर्ष अलावे सेस वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्तों के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की गयी भूमि पर दखल कब्जा कायम करने के लिये अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदा करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग्य किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तान्तरण वैध नहीं होगा।
   बन्दोबस्त भूमि को आर्थिक वित्त ग्रामीण बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर   अंचल पदाधिकारी   अनुमंडल पदाधिकारी